

कार्यालय: वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी
पत्रांक- ३२१७ / १५-१ / दिनांक, अप्रैल, १९, २०२२।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

झांसी वन प्रभाग, झांसी।

विषय:- जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लिमिटेड, झांसी द्वारा सिजवाहा आरक्षित वन भूमि ०.०६० हे० झांसी-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-२७ के कि०मी० संख्या-८६ से ९३.५०० तक बांयी पट्टी कुल ७.५०० कि०मी०, क्षेत्रफल ०.२५५ हे० संरक्षित वन भूमि एवं झांसी-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-४४ के कि०मी० संख्या-६.५०० से १८.२०० तक कुल ११.७०० कि०मी० क्षेत्रफल ०.३५१ हे० संरक्षित वन भूमि कुल आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि ०.६३६ हे० बिना वृक्ष पातन के गैर संरक्षित वन भूमि ०.६३६ हे० विना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु प्रस्ताव संख्या-FPP/UP/Pipeline/143751/2021।

संदर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक-२९८६ / १५-१, दिनांक ११.०४.२०२२।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव इस कार्यालय में आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है जिसका इस कार्यालय द्वारा परीक्षण किया गया। प्रस्ताव में निम्न प्रकार कमियां पाई गई :-

६. प्रस्ताव की प्रत्येक पत्रावली में पेनड्राईव संलग्न नहीं की गई है।
७. पावर ऑफ एटोर्नी में प्रथम पेज में निर्दिष्ट स्थान से आलेख टंकित नहीं किया गया है जो कि मान्य नहीं है।
८. कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-२४७३/११-सी-गाईडलाईन, दिनांक २४.०२.२०२२ के अनुसार प्रस्ताव के प्रत्येक पेज पर प्रभागीय वनाधिकारी, के हस्ताक्षर नहीं है।
९. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश संलग्न नहीं है।
१०. गजट नोटिफिकेशन की अस्पष्ट, प्रमाणित व चिन्हित छायाप्रति संलग्न है, स्पष्ट गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाये।

उपरोक्त कमियां पूर्ण कर उक्त प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। आप द्वारा प्रेषित उक्त ०५ पत्रावलियां मूल में संलग्नक कर वापिस की जा रही है।
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार मूल में।

भवदीय

पृष्ठांक संख्या / अ / समदिनांक

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी
वन संरक्षक बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी
वन संरक्षक बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी